

**समाहरणालय, मधेपुरा**  
(आपदा प्रबंधन शाखा)

**-: आदेश :-**

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-78/स0अनु0, /आ0प्र0, दिनांक-11.09.2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-113- घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष-0003- अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत /पुनर्निर्माण विपत्र कोड N-2245021130003 मद में कुल मो0-1,84,96,200/- (एक करोड़ चौरासी लाख छियानवे हजार दो सौ) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को अंचलाधिकारी, मुरलीगंज को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व उपावंटन राशि	वर्तमान उपावंटन राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	3,45,59,700/-	1,84,96,200/-	5,30,55,900/-
	<b>कुल-</b>	<b>3,45,59,700/-</b>	<b>1,84,96,200/-</b>	<b>5,30,55,900/-</b>

**उपावंटन की शर्तें :-**

- (1) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-113- घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष-0003- अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत /पुनर्निर्माण विपत्र कोड N-2245021130003 मांग संख्या-39 युनिट कोड 31 05 सहायक अनुदान -परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण मद में पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या-46 /आ0प्र0, दिनांक-28.04.2015 तथा वित्त विभाग के ज्ञापांक-ब-17 /आपदा /बी0सी0/एफ0-67 /2015/3 सी0-एफ0, दिनांक-30.04.2015 एवं एतद् संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1594/आ0प्र0, दिनांक-01.05.2015 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (2) यह आवंटन चक्रवातीय तूफान के मद्देनजर अंचलाधिकारी, मुरलीगंज के पत्रांक-688-2, दिनांक-19.08.2015 द्वारा प्रेषित अधियाचना के आधार पर पूर्व आवंटित राशि को घटाकर निर्गत किया जा रहा है।
- (3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार

- कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी एक प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (6) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र /विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-....., उपमुख्य शीर्ष....., लघु शीर्ष....., उपशीर्ष....." अंकित कराया जाए।
- (7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- (8) राशि के वितरण में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-1696 दिनांक-07.05.2015, पत्रांक-1602 दिनांक-02.05.2015 एवं पत्रांक-1587 दिनांक-01.05.2015 के प्रावधानों का शतप्रतिशत पालन किया जाएगा। इस हेतु अपर समाहर्ता, (आपदा) वरीय पदाधिकारी होंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०।

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक :.....643...../ आ०प्र०, मधेपुरा, दिनांक :.....18.09.15...../

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।  
16.09.15